भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

अधिवक्ता कल्याण निधि • बार एसोसिएशन, मथुरा • क्र. सं. 1223 सचिव

उत्तर प्रदेश UTTAR PR

AV 101243

16351

।। जय श्री कृष्ण ।।

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण –

1. भूमि का प्रकार – आवासीय
2. वार्ड परगना– जिला मथुरा।
3. मौहल्ला/ग्राम – <u>मौजा सुनरख बांगर</u>
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)– प्लाट
5. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्गमीटर)– वर्गमीटर
6. विक्रय सम्पत्ति का क्षेत्रफल– 83.61 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ठ के अनुसार)– रास्ता 6 मीटर से कम चौड़ा
8. प्रतिफल की धनराशि 5,02,000/–रूपये, सरकारी रेट– 6000/–रूपये वर्गमीटर जो रेट लिस्ट में पेज नम्बर 51 कोड 1452 पर दर्ज है, मालियत– 5,02,000/–रूपये, देय स्टाम्प– 35,150/–रूपये, क्षेत्र उपनिबन्धक द्वितीय., मथुरा। विकास शुल्क सीमा के अन्दर व नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 101244

{2}

विक्रेता प्रथमपक्ष की संख्या (एक)

1. किशनदास जी महाराज शिष्य श्री श्यामाशरण दास जी महाराज निवासी– कैमारवन, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा।

क्रेता द्वितीयपक्ष की संख्या (एक)

1 पिंक सिटी प्रोपर्टीज प्रा0लि0 द्वारा दुर्गेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री विष्णू प्रसाद अग्रवाल निवासी– लोई बाजार, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा

....

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 101245

{3}

हमकि किशनदास जी महाराज शिष्य श्री श्यामाशरण दास जी महाराज निवासी– कैमारवन, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा

......विक्रेता प्रथमपक्ष

एवं पिंक सिटी प्रोपर्टीज प्रा0लि0 द्वारा दुर्गेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री विष्णू प्रसाद अग्रवाल निवासी– लोई बाजार, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा

........क्रेता द्वितीयपक्ष

पक्षकारगण इस लेखपत्र के हैं।

जो कि एककिता प्लाट जमीन पैमाइशी पूरब से पश्चिम– 60 फीट व उत्तर से दक्षिण– 15 फीट क्षेत्रफल 100 वर्गगज बराबर 83.61 वर्गमीटर जिसकी सीमा यह है–

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 099524

{4}

पूरब– रास्ता 15 फीट

पश्चिम– प्लाट अन्य

उत्तर– प्लाट आमोद तिवारी

दक्षिण– प्लाट अन्य

स्थित मौजा सुनरख बांगर अन्दरून सरस्वती बिहार कालौनी, तहसील व जिला मथुरा जो खसरा 985 से 990 में स्थित है। जिसका संलग्न नक्शें में रंग लाल दिखाया है। उक्त प्लाट जमीन का विक्रेता प्रथमपक्ष मालिक है। जो प्रथमपक्ष ने बजरिये बैनामा इकरारी रोहिणी प्रसाद शुक्ला पुत्र श्री सीताराम शुक्ला वहैसियत मुख्तारआम गिर्राज सिंह व ओमप्रकाश आदि से दिनांक 22.07.2005 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक, मथुरा में बही नम्बर 1

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 099525

2 3 JUN 2014

पत्रलेख संख्या 7214 पर हुई है, से खरीद किया। रोज खरीदारी से उक्त प्लाट जमीन प्रथमपक्ष के कब्जा मालिकाना में है। तथा प्रथमपक्ष का ही नाम दर्ज कागजात सरकारी है। प्लाट उपरोक्त हर प्रकार के झगड़े–झंझट, कर्जे आदि से पाक साफ है। न कोई वाद विवाद है न कोई भार है और न किसी की जमानत में है, गरजे की मिलकीयत पाक साफ, प्रथमपक्ष विक्रेता है। सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के उक्त प्लाट जमीन का अन्य कोई मालिक व हकदार व हिस्सेदार नहीं है। न किसी भी जगह रहन व गिरवी आदि है। न उक्त प्लाट जमीन किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक है। न किसी डिग्री में नीलाम या कुर्क है। न ही विक्रेता प्रथमपक्ष ने उक्त प्लाट जमीन को बेचने का इकरारनामा किसी के साथ तय कर रखा है। न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो प्रथमपक्ष के

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 099526

{6}

हस्तान्तरण आदि करने में किसी प्रकार की कोई बाधा या रूकावट पैदा कर सके। यानि उक्त प्लाट जमीन हर प्रकार के झगडे–झंझट कर्जे आदि से पाक साफ तन्हा प्रथमपक्ष की सम्पत्ति है। तथा प्रथमपक्ष को उपरोक्त प्लाट के विषय में सम्पूर्ण अधिकार मालिकाना व काबिजाना व हस्तान्तरण आदि हर प्रकार के प्राप्त हैं। अब वास्ते खर्च खुद विक्रेता प्रथमपक्ष को अपना उक्त प्लाट जमीन बेचना आवश्यक है। और इस समय द्वितीयपक्ष उक्त प्लाट जमीन को अच्छी कीमत देकर क्रय करने को तैयार हैं। इस कीमत में बेच देने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है। चुनांचि उक्त प्लाट जमीन को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हों यानि कुल को बिना छोड़े किसी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के मय राइट्स समस्त अधिकारों सहित वखुशी वराजी अपने **वएवज 5,02,000/– पांच लाख दो हजार रूपये**

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 099527

{7}

जिनके आधे 2,51,000/– दो लाख इक्यावन हजार रूपये होते हैं। **बदस्त पिंक सिटी प्रोपर्टीज प्रा0लि0 द्वारा दुर्गेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री विष्णू प्रसाद अग्रवाल निवासी– लोई बाजार, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा क्रेता द्वितीयपक्ष** को बेच दिया और कतई वै कर दिया और कीमत के कुल रूपये बजरिये चैक संख्या 010601 तादादी 5,02,000/–रूपये ओ.बी.सी. द्वारा वक्त रजिस्ट्री बैनामा प्राप्त करके कब्जा व दखल बेचे गये प्लाट जमीन पर खरीदार का वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया और खरीदार उक्त प्लाट जमीन की पूरी मालिक हो गयी। अब वह समस्त अधिकार मालिकाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावें व निर्माण आदि करें व स्वंय जो चाहें सो करे। अब विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसों का उक्त बेचे गये प्लाट जमीन में कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का कुछ भी शेष नहीं रहा और न आयन्दा भविष्य में होगा, अगर कभी कोई व्यक्ति उक्त बेचे गये प्लाट जमीन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 119250

दावा या झगड़ा उत्पन्न करें और उसके कारण विक्रय प्लाट जमीन का जुज या कुल भाग कब्जा खरीदार से निकल जावें या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या कहीं रहन आदि निकले तो विक्रेता प्रथमपक्ष की हर प्रकार की पूरी जिम्मेदारी होगी। खरीदार अपनी कीमत का दिया गया रूपया मय हर्जा–खर्चा व लागत व अदा व खर्च किये गये रूपयों को विक्रेता प्रथमपक्ष व उसकी हर प्रकार की चल–अचल सम्पत्ति से बाजाव्ता बजरिये अदालत मय सूद के वसूल कर ले इसमें विक्रेता प्रथमपक्ष व वारिसान विक्रेता प्रथमपक्ष को किसी भी प्रकार का कुछ भी उज्र न होगा। बेचे गये प्लाट जमीन पर कोई टैक्स नहीं है। बेचा गया प्लाट खाली है। तथा कोई तामीरात नहीं है। अतः यह बैनामा अपनी राजी व खुशी से दोनो पक्षों ने पढ़कर व सुनकर व समझकर लिख दिया है कि सनद रहे और समय पर काम आवे। उक्त प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार गवाहो के समक्ष पढ़ाकर व सुनाकर ड्राफ्ट व टाइप किया गया है। तथा गवाहान व खरीदार की शिनाख्त के आधार पर फोटो प्रमाणित किये गये हैं। तथा क्रेता–विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराया गया प्लाट का

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 737524

फोटो इस प्रलेख पर चस्पा किया गया है। तथा प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के पहचान पत्र प्रलेख के साथ संलग्न है।

दिनांक – 25.06.2014ई0
कम्प्यूटराइज्ड किया– आर0के0
ड्राफ्ट किया– गोबिन्द प्रसाद शर्मा एडवोकेट, मथुरा।

साक्षी विक्रमसिंह S/o श्री ओमपालसिंह नि० अहीरपाड़ा, वृन्दावन मथुरा

साक्षी देवेन्द्र S/o श्री जुगलकिशोर नि० बांके बिहारी कालोनी वृन्दावन मथुरा

आज दिनांक **25/06/2014** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **6547**

पृष्ठ सं. **177** से **196** पर कमांक **9032**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मौ0 शाकिर (प्रभारी)

उप निबन्धक (द्वितीय)

मथुरा

25/6/2014

प्रस्तावित प्लाट स्थित मौजा कुन्दरख बांगर (सरस्वती विहार कालोनी) तहसील व जिला मथुरा की खसरा नं० 985 व 990 में स्थित है।

विक्रेता - श्री किशनराम जी महाराज